

28/4/22

परावली आज प्राचीन के निर्वहन कार्य के आधार पर मूल वाद के साथ प्रशासन गांवों के लोग शामिल - 2021 के 12-13 में पेश हुई। प्राचीन प्रकृति अधिवक्ता डायर होकर जा फाइलिंग कर निर्वहन किया कि परमार्थ का शरीराना ही युवा है, बिना के आदेश ही हेतु निर्वहन किया। लिखना प्राचीन के निर्वहन के आधार पर विज्ञापन की अनुमति ही जाती है तथा प्राचीन चयन विज्ञापन आधार पर इसी लिए पर खारिज किया जाता है। परावली के मामले में शुभकर होकर मूल वाद संलग्न रहे।

रायसिंहनगर
Joshi

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

